न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/3861/2003/चित्तौड़गढ़

1– कजोड पुत्र घासी मेघवाल

2– परथा पुत्र कन्ना मेघवाल

3– गमेरा पुत्र कन्ना मेघवाल

4– रूपा पुत्र कन्ना मेघवाल

5– गोटू पुत्र कन्ना मेघवाल

6– नारायणी पत्नी कन्ना मेघवाल

7– श्याणी पत्नी गमेरा मेघवाल

8– हरकूडी पत्नी भेरा मेघवाल

समस्त निवासी सेठवाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांटस

बनाम

1– भेरू पुत्र मोती बलाई मृतक जरिए वारिसानः–

1/1– जगदीश पुत्र भेरू

1/2– छोगालाल पुत्र भेरू

1/3– लाला पुत्र भेरू

1/4– कंकू पुत्री भेरू

1/5– नकतरी पुत्री भेरू

1/6– डालूबाई पुत्री भेरू

1/7– प्रेमीबाई पुत्री भेरू

2– परथा पुत्र मोती बलाई

3– मथरी पुत्री मोती बलाई

4– उदी पुत्री मोती बलाई

5– बदामी पुत्री मोती बलाई

6– सरसी पुत्री मोती बलाई

सभी निवासी पराना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री के0के0 पुरोहित, अधिवक्ता अपीलांटस।

श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता रेस्पो0।

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता रेस्पो0।

निर्णय

दिनांकः— 05.06.2025

अपीलांटस द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपील संख्या 90/2001 में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण/रेस्पो0 ने प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188, 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि मौजा ग्राम पराना तहसील डूंगला की आराजी संख्या 31 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है, जिस पर प्रतिवादी वादी के उपयोग करने में जबरन बाधा उत्पन्न करते हैं । अतः उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि दिनांक 29.05.1950 को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र बिल एवज 700/—रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से प्रतिवादी/अपीलांट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अतः वाद वादी निरस्त किया जावे । विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2001 द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर लिया। उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष पेश की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.06.2003 द्वारा खारिज कर दी गई। अपीलीय न्यायालय के उक्त

निर्णय से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उपभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 दिनांक 31.01.2019 एवं अपील के गुणावगुण पर सुनी ।

4— अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 का पेश कर कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जिसमें अपीलांटस अपने पक्ष के समर्थन में नकल निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी दिनांक 29.04.2002 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करना चाहते हैं जो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के उचित न्याय एवं निर्णय हेतु आवश्यक दस्तावेज होने से न्यायहित में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

4— विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि द्वितीय अपील के स्तर पर प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के माध्यम से अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है । प्रार्थीगण ने हस्तगत दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पेश नहीं करने के संबंध में कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें ।

5— विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । विवादित आराजीयात स्व0 हीरा के जमाने से चली आ रही है। स्व0 हीरा के 3 लड़के मोती, रूपा एवं पन्ना थे। स्व0 हीरा के बाद मोती सबसे बड़ा लड़का होने के कारण विवादित आराजीयात उसके नाम पर खाते में दर्ज हो गई जबकि मोती, रूपा व पन्ना का बराबर का हिस्सा था एवं तीनों ही भाई आपसी बंटवारे के अनुसार अलग—अलग काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं जिसमें स्व0 रूपा ने विवादित आराजीयात खसरा संख्या 31 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र बिल एवज 700/—रूपये दिनांक 29.05.50 को अपीलांट के पिता एवं अपीलांट को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था। तब से उक्त क्रयशुदा भूमि पर आज दिवस तक अपीलांट

काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 ने तथ्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। विवादित आराजी खसरा संख्या 31 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादीगण/रेस्पो0 के पूर्वजों के समय से चली आ रही है। पूर्व में वादीगण/रेस्पो0 एवं उसके भाई रूपा व कन्ना के बीच एक बंटवारे की डिक्री पारित की गई जिसके अनुसार विवादित आराजी खसरा संख्या 31 रूपा एवं कुछ भाग पन्ना के हिस्से में रखा गया जिससे अपीलांट ने एक वाद पत्र बाबत् घोषणात्मक खातेदारी स्व0 रूपा एवं पन्ना के वारिसान के विरूद्ध पेश किया था जो दिनांक 31.08.90 को निर्णित किया गया, जिसके अनुसार विवादिज आराजी संख्या 31 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादी/अपीलांट के खातेदारी में दर्ज करने की डिक्री प्रदान की गई । जिसके आधार पर जरिए नामांतकरण संख्या 397 दिनांक 25.08.95 से विवादित आराजी अपीलांट के खातेदारी में दर्ज कर दी गई, परंतु उक्त भूमि पुनः वादीगण/रेस्पो0 के नाम पर अंकित की गई फिर भी विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त अपीलांट का चला आ रहा था, ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 ने तथ्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय बहक वादी करने में त्रुटि कारित की है, क्योंकि वादी/रेस्पो0 द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि विवादित आराजी पर उसका कब्जा है। तनकी संख्या 3 में स्वयं न्यायालय ने यह माना है कि प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत की है जिसमें कब्जा होना भी प्रस्तुत है तथा गवाहान भी कब्जा अपीलांट का ही बताते हैं परंतु अधी0न्याया0 ने यह माना कि खसरा गिरदावरी को प्रमाणित नहीं कराया है, जिसके आधार पर कब्जा अपीलांट का नहीं माना जा सकता है। जबकि खसरा गिरदावरी राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति है जो अपने आप में साबित मानी जाती है, जबकि इसके विपरीत रेस्पो0 द्वारा कोई तथ्य सिद्ध नहीं कर दिया जाता है। वादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य प्रमाणित नहीं है जिससे अधी0न्याया0 ने राजस्व रिकार्ड की प्रति को नहीं मानकर वाद पत्र वादी स्वीकार करने की निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 2 का निर्णय प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध निर्णित करने में त्रुटि कारित की है। विवादित आराजीयात स्व0 हीरा के जमाने से चली आ रही है जिसमें मोती, रूपा व कन्ना उर्फ किशना का 1/3–1/3 हिस्से के अनुसार कब्जा चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी अन्य आराजीयात में 1/3–1/3 हिस्से के अनुसार कब्जे काश्त में चले आ रहे हैं।

ऐसी स्थिति में स्व0 रूपा द्वारा किया गया विक्रय पत्र पूर्ण रूप से वैधानिक था जिसको नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजीयात पर अपीलांट ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं । ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया अपीलांट राज0काश्त0अधि0 के प्रभाव में आने से भूमि स्वतः ही अपनी खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है एवं तदनुसार अपीलांट/प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात पर सन् 1950 से मुतवातिर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं इस कारण धारा 63 (4) के तहत कब्जेयाबी की मयाद वर्ष समाप्त हो जाने कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होते हुए भी अधी0न्याया0 ने विधिविरूद्ध जाकर निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2003 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2001 को निरस्त किया जावें तथा वादपत्र वादी मय हर्जे खर्चे खारिज किया जाकर विवादित आराजीयात अपीलांट/प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कराए जाने की डिक्री जारी की जावें।

6— विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । बहस में आगे कथन कि रेस्पो0 विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादपत्र में भूमि रूपा से क्रय करना कहा गया है परंतु रूपा कभी भी उक्त भूमि का खातेदार नहीं रहा है। मोती का नाम भू—प्रबंध से चला आ रहा है। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सही रूप से स्वीकार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाये जाने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसे यथावत् रखा है जो भी विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें ।

7— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 298/91 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.2002 की प्रमाणित पेश की है जिस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त उक्त दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के न्याय, निर्णयन हेतु सहायक दस्तावेज है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को पत्रावली पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है ।

8— प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 ने विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, निम्बाहेड़ा के समक्ष राज0काश्त0अधि0, 1955 की धारा 188, 209 के तहत वादपत्र पेश कर कथन किया कि वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ग्राम पराना, तहसील डूंगला में खसरा नंबर 31 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा स्थित है, जिस पर वादी की फसल खड़ी है एवं वादी ही विवादित भूमि उपयोग उपभोग कर रहे है किन्तु प्रतिवादीगण अवैध तरीके से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है । अतः वादपत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । उक्त वादपत्र में वादी ने यह भी अनुतोष चाहा है कि यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर कब्जा कर लेवे तो पुनः कब्जा दिलाया जावे । उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण/अपीलांटस को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता घासी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.05.1950 को रूपा पिता हीरा बलाई से बिल एवज 700/—रू0 में खरीद की तथा उसी समय से काबिज है । घासी की मृत्यु उपरांत प्रतिवादी कजोड़ काबिज चला आ रहा है । अतः वाद वादी खारिज किया जावे ।

9— विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर वाद के निस्तारण हेतु 6 विवाद बिन्दु कायम कर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण देते हुए वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है । विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 के निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि नकल जमाबंदी 2038 से 2041 एक्जी01 में विवादित भूमि वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है । नकल जमाबंदी मेवाड़ सेटलमेंट संवत् 1998 एक्जी0 2 में भी वादी मोती पिता हीरा बलाई के नाम दर्ज रिकार्ड है । लगान की रसीदें एक्जी0 4 से एक्जी 31 तक की पेश हुई है जिसक अनुसार भी लगान वादी मोती द्वारा अदा किया गया जाना प्रमाणित है । इसके अतिरिक्त गवाह पी0डब्ल्यू 2 किशना

गाडरी, पी0डब्ल्यू0 3 रूपा सालवी ने वादी के वादपत्र की पुष्टि की है । उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 31 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा प्रारंभ से वादी मोती के नाम दर्ज रिकार्ड रही है । इसके विपरीत प्रतिवादी दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित भूमि को वादी मोती पि0 हीरा व रूपा की शामलाती होने तथा उक्त खसरा नंबर की भूमि रूपा के हिस्से में आने के तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्यो से प्रमाणित करने में असफल रहे है । जहां तक अपीलांट/प्रतिवादी का यह कथन कि विचारण न्यायालय ने राज0काश्त0अधि0 209 के तहत वादी को कब्जा देने का आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी ने अपने वाद पत्र के अनुतोष के पैरा 'ख' में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अगर दौराने मुकदमा अगर प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर या उसके किसी भाग पर जबरन कब्जा कर लेवें तो वापस कब्जा वादी को दिलाया जावे । इस कारण प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा किया गया उक्त कथन उचित प्रतीत नहीं होता है । विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों एवं गवाहों के परिपेक्ष्य में वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम द्वितीय अपील के स्तर पर उचित नहीं समझते हैं।

10— उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में किसी प्रकार की कोई विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि नहीं होने से द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में यह अपील स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है ।

11— परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोडगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13—06—2003 एवं उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27—02—2001 यथावत् रखे जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष